EDITOR'S SCATVIEW

Manoj Kumar Madhavan

The new guidelines announced by the government, under the ambit of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021, has brought in detailed guidelines for digital content on both digital media and Over the Top (OTT) platforms, while giving overriding powers to the government to step in. This has sent shockwaves across the industry and big OTT players are trying to come to terms with the new policy.

Any complaint with regards to the content will need to be addressed within 15 days and if it is not satisfactorily addressed, then the complainant will be referred to a self-regulatory body collectively established by the OTT players. This body will be headed by a retired judge of the Supreme Court, a High Court, or an independent eminent person from the field of media, broadcasting, entertainment, child rights, human rights or other relevant fields. This self-regulatory body will have the powers to censure the content in case if it found to be incriminating.

To top this, at the third tier, the government has equipped itself with overriding powers in the form of "oversight mechanism". An inter-ministerial committee will perform this function and it will largely have the same powers as the collective self-regulatory body of the OTTs.

The government has equipped itself with "emergency" powers. The rules state, "in case of emergency nature" the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting may, "if he is satisfied that it is necessary or expedient and justifiable" give orders to block public access of any information.

OTT platforms will have to self-classify content into five age-based categories — U (Universal), U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+, and A (Adult). Platforms would be required to implement parental locks for content classified as U/A 13+ or higher, and reliable age verification mechanisms for content classified as "A". The majority of OTT platforms currently follow this mechanism.

What remains to be seen is how much of this will work? Let's wait and watch…

(Manoj Kumar Madhavan)

*सूचना तकनीकी (मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम **2021** के दायरे में सरकार द्वारा घोषित नये दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया और ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों पर हालांकि सरकार को कदम बढ़ाने की शक्तियां प्रदान करते हुए डिजिटल सामग्री के लिए विस्तृत दिशा निर्देश लाये हैं। इसने पूरे उद्योग को झटका दिया है और बड़ी ओटीटी कंपनियां नयी नीति के साथ आने की कोशिश कर रही हैं।*

*सामग्री के संबंध में कोई भी शिकायत को **15** दिनों के भीतर संबोधित करने की आवश्यकता होगी और यदि यह संतोषजनक तरीके से संबोधित नहीं किया गया तो शिकायतकर्ता को ओटीटी कंपनियों द्वारा सामूहिक रूप से स्थापित एक स्वानियामक निकाय को संदर्भित किया जायेगा। यह निकाय सर्वोच्च न्यायालय, एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार, मानव अधिकार या अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों से स्वतंत्र व्यक्ति होगा। इस स्व नियामक निकाय के पास यदि यह भेदभावपूर्ण पाया जाता है तो मामले में सामग्री को रोकने की शक्तियां होंगी।*

इससे आगे बढ़कर सरकार ने तीसरे स्तर के रूप में खुद को 'ओवरसाइट तंत्र' के रूप में अधिभावी शक्तियों से सुसज्जित किया है। एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति इस कार्य को करेगी और इसमें मुख्य रूप से ओटीटी के सामूहिक स्व-नियामक निकाय के समान शक्तियां होंगी।

*सरकार ने खुद को आपातकालीन श**2**तयों से सुसज्जित किया है। नियम, आपातकालीन प्रकृति के मामले में सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने बताया कि 'यदि वह संतुष्ट हैं कि यह आवश्यक या समीचीन और न्यायोचित है तो किसी भी जानकारी के सार्वजनिक उपयोग को अवरूद्ध करने का आदेश देते हैं।*

*ओटीटी प्लेटफार्मों को पांच आयु आधारित श्रेणियों में सामग्री को स्व-वर्गीकृत करना होगाः यू (यूनिवर्सल), यू/ए 7प्लस, यू/ए **13** प्लस, यू/ए **16** प्लस, और ए (वयस्क)। यू/ए **13** प्लस या उच्चतर और 'ए' के रूप में वर्गीकृत सामग्री के लिए विश्वनीय आयु सत्यापन तंत्र के रूप में वर्गीकृत सामग्री के लिए पैरेंटल लॉक को लागू करने के लिए प्लेटफार्मों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में अधिकांश ओटीटी प्लेटफार्म इस तंत्र का पालन करते हैं।*

अब यह देखा जाना बाकी है कि यह कैसे काम करेगा? प्रतीक्षा करें और देखें…

(Manoj Kumar Madhavan)